कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14320/950 दिनांकः– 31.12.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत मनिहारी के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 07/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

(87)

# नगर पंचायत मनिहारी
## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–07/12–13
## (अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

### 1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, मनिहारी के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.03.12 से 31.03.12 तक की अवधि में किया गया।

### 2. प्रशासन

| क्र0सं0 | नाम | कार्यावधि |
|---|---|---|
| | **अध्यक्ष** | |
| (क) | श्रीमती चंद्रलेखा देवी | अप्रैल 2007 से 31.03.11 तक |
| | **उपाध्यक्ष** | |
| (क) | श्री अशोक कुमार यादव | तथैव |
| | **कार्यपालक पदाधिकारी** | |
| (क) | श्री सुशील कुमार | 18.04.07 से 08.06.10 तक |
| (ख) | श्री सुबोध कुमार झा | 08.06.10 से 13.09.10 तक |
| (ग) | श्रीमती सुनिता कुमारी | 13.09.10 से 31.03.11 तक |

### 3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत एवं नमूना जाँच की गयी अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I एवं अप्रस्तुत एवं असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गयी है।

### 4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के निस्तारण हेतु अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

| क्र0 सं0 | प्रतिवेदन सं0 | अवधि | कंडिकाओं की सं0 | निराकरण की गयी कंडिकाओं की सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/1994–95 | 1981–82 से 1992–93 | 7 | शून्य |
| 2 | 66/2002–03 | नवम्बर 95 से मार्च 2002 | 28 | शून्य |

इस प्रकार लेखापरीक्षा जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, वह प्रयोजन असफल हुआ।

अतः कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से इस दिशा में आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित कदम उठाया जाय तथा निराकरण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को शीघ्र भेजने की व्यवस्था की जाय।

## 5. लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

| क्र0 सं0 | कंडिका सं0 | विवरण | राशि(₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13(i) | गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों का अधिरोपण नहीं होने से राजस्व की हानि | 3,92,969.00 |
| 2 | 15(ii) | नहीं जमा राशि | 1,33,000.00 |
| 3 | 16(i) | बंदोबस्ती की राशि वसूल नहीं | 3,89,100.00 |
| 4 | 16(ii) | स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं करने के कारण राजस्व हानि | 38,493.00. |
| 5 | 17 | सोलर लाइटों के क्रय में अनियमितताएँ | 6,36,855.00 |
| 6 | 19 | नगर पंचायत द्वारा विभागीय कार्य कराया जाना | 45,15,246.00 |
| 7 | 24 | चापाकल का संदिग्ध अधिष्ठापन | 1,39,531.00 |

## 6. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 20,30,66 तथा नगरपालिका लेखा नियमावली के अधीन (Recovery of taxes) नियम 30,37, एवं 39 में नगरपालिका पदाधिकारियों द्वारा अपनायें जाने वाले विभिन्न जाँचों का प्रावधान है।

अभिलेखों के जाँचोपरांत यह पाया गया कि नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई। इन त्रुटियों की विवेचना संबंधित कंडिकाओं में की गई है। यदि जाँच प्रक्रिया का पालन निश्चित अंतराल पर किया जाता तो प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं तथा त्रुटियाँ(जो उजागर नहीं हो सकी) को टाला जा सकता था।

अतः नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि नगर पंचायत के लेखाओं की नियमित जाँच करते रहे ताकि भविष्य में अनियमितताएँ न हो।

### 7. स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1060 दिनांक 28 फरवरी 1985 के अनुसार निम्नलिखित पद स्वीकृत थेः–

| क्र0सं0 | पद का नाम | स्वीकृत सं0 | कार्यरत सं0 | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रधान सहायक सह लेखापाल | 01 | 01 | – |
| 2 | कर दारोगा | 01 | 01 | – |
| 3 | कार्यालय आदेशपाल | 01 | 01 | – |
| 4 | सफाई जमादार | 01 | 00 | 01 |
| 5 | सफाई कर्मी | 05 | 01 | 04 |
| | | 09 | 04 | 05 |

रिक्त पदों को भरने के लिए किए गये प्रयासों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

### 8. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, मनिहारी, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा स्वयं के स्रातों से अर्जित आय से वित्त पोषित थी। नगर पंचायत, मनिहारी का वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि में प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी निम्न हैः–

| क्र0सं0 | विवरण | 2008–09(₹) | 2009–10(₹) | 2010–11(₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 50,41,237.00 | 75,13,642.00 | 67,32,744.00 |
| 2 | प्राप्ति | 42,20,603.00 | 15,67,114.00 | 25,10,722.00 |
| 3 | ब्याज | 1,11,069.00 | 1,10,034.00 | 95,461.00 |
| 4 | कुल प्राप्ति | 93,72,909.00 | 91,90,790.00 | 93,38,927.00 |
| 5 | वर्ष में किया गया व्यय | 18,59,267.00 | 24,58,046.00 | 27,64,971.00 |
| 6 | अंतिम शेष | 75,13,642.00 | 67,32,744.00 | 65,73,956.00 |

**बैंक शेष/ट्रेजरी पास बुक शेष(31.03.11 तक)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ट्रेजरी पास बुक | 20,08,072.00 |
| 2 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी (A/c No. 11014/2107135285) | 26,66,689.00 |
| 3 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी (A/c No. 12610) | 1229.00 |
| 4 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी (A/c No. 12817/2107149764) | 6994.00 |
| 5 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी (A/c No. 11451) | 1323.00 |
| 6 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी (A/c No. 7/30079)(Pass book was not updated) | 589.00 |
| 7 | कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मनिहारी (A/c No. 17) | 2097.00 |
| 8 | कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मनिहारी (A/c No. 07) | 2,25,635.00 |
| | कुल शेष | 49,12,628.00 |

दिनांक 31.03.11 तक रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक/ट्रेजरी पास बुक का अंतर = 65,73,956.–49,12,628 =16,61,328.00 नगर पंचायत के अनुसार यह अंतर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार B.R.G.F की राशि को कोर बैंकिग खाता में रखे जाने से हुई है जो अंकेक्षण में मान्य नहीं है। इसका समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

**अंकेक्षण आपत्ति**

(i) रोकड़ बही के संधारण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईं।

(a) रोकड़ बही निर्धारित फार्म में नहीं रखे गए थे।

(b) शीर्षवार प्राप्ति तथा व्यय को नहीं दर्शाया गया था।

(c) रद्द किए गए चेक की प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज नहीं थी।

(d) रोकड़ बही का बैंक खाते से मासिक तथा वार्षिक समायोजन विवरणी नहीं तैयार किया गया था।

(e) सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के अनुदान जैसे 12वीं योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान, कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत प्राप्त अनुदान, पथ निर्माण एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत प्राप्त अनुदान, मैचिंग ग्रांट 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान इत्यादि सभी लेखापाल रोकड़ बही में ही रखे गए थे। इस सभी अनुदानों के व्यय तथा अवशेष के लिए अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे इन सभी मद में प्राप्त राशि का प्रारंभिक शेष, व्यय तथा अंतिम शेष का निर्धारण करना संभव नहीं था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है कि उपर्युक्त लिखित अनियमितताओं को सुधार कर इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें। साथ ही विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदानों का अनुदान पंजी तैयार कर इनका प्रारंभिक शेष, वर्ष में प्राप्ति, व्यय तथा अंतिम शेष निकालकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

**(ii) एक से अधिक बैंक खाते का संचालन**

नगर पंचायत, मनिहारी द्वारा एक से अधिक बैंक खाते का संचालन किया जा रहा था, जो अनियमित था। बैंक खाते को कम करने का प्रयास किया जाय।

**9. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वित्तीय स्थिति**

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्तीय विवरणः–

| क्र0सं0 | विवरण | 2008–09(₹) | 2009–10(₹) | 2010–11(₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक शेष | 14,73,000.00 | 14,98,778.00 | 39,36,695.00 |
| 2 | प्राप्ति (अनुदान) | शून्य | 23,85,000.00 | 8,91,000.00 |
| 3 | ब्याज | 25,778.00 | 52,917.00 | 54,191.00 |
| 4 | कुल प्राप्ति(A+B+C) | 14,98,778.00 | 39,36,695.00 | 48,81,886.00 |
| 5 | वर्ष में किया गया व्यय | शून्य | शून्य | 57,040.00 |
| 6 | अंतिम शेष(D-E) | 14,98,778.00 | 39,36,695.00 | 4824846.00 |

## बैंक शेष

| बैंक का नाम | खाता सं0 | राशि(₹) |
|---|---|---|
| यूनियन बैंक, कटिहार | 540302010002673 | 39,33,846.00 |
| इलाहाबाद बैंक, कटिहार | 50039680761 | 8,98,496.00 |
| | कुल शेष (31.01.11 तक) | 48,32,342.00 |

(i) बैंक शेष तथा रोकड़ बही शेष की अंतर राशि ₹7496.00 को समाधानित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) वर्ष 2010–11 में इस मद से ₹57,040.00 कंप्यूटर तथा प्रिंटर इत्यादि इस मद से पर व्यय किया गया था जबकि इस हेतु BRGF योजना मद से व्यय नहीं करना था। इसके संबंध में अंकेक्षण दल को बताया गया कि यह राशि नगर पंचायत मनिहारी जिला योजना समिति कटिहार से पारित आदेश के अनुसार खर्च की गई थी। लेकिन इसका साक्ष्य अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः अगले अंकेक्षण में दिखाये जाने तक यह राशि ₹57,040.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद में राशि की उपलब्धता रहने के बावजूद इस मद से वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई। फलस्वरूप अनुदान राशि बाधित रही एवं योजना का उद्देश्य निष्फल रहा।

अतः अनुदान राशि का उपयोग किया जाय या अवशेष राशि संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

### 10. बजट प्राक्कलन

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा 82 एवं 84 के प्रावधान के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करेगा। जिसमें आगामी वर्ष में होने वाले आय एवं व्यय का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा। बजट प्राक्कलन और उस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजेगी। लेकिन इन उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के

दौरान बजट के मंजूरी के बिना ही व्यय किया। बजट प्राक्कलन के बिना किए गए व्यय की राशि ₹70,82,284.00 नियमित नहीं थी।

अतः नगर पंचायत को सलाह दी जाती है कि एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार करके ही भविष्य में कोई खर्च नगर पंचायत निधि से किया करें।

**11. अनुदान**

रोकड़ बही तथा अनुदान पत्रों के अनुसार नगर पंचायत, मनिहारी को वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ था।

| क्र0 सं0 | पत्रांक एवं दिनांक | राशि(₹) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 4535 दिनांक 29.08.08 | 69,000.00 | नगर पंचायत के मुख्य/उपमुख्य पार्षदों को नियत भत्ता, निर्वाचित पार्षदों को मासिक बैठक भत्ता इत्यादि |
| 2 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 5908 दिनांक 01.10.08 | 2,98,013.00 | वेतन मद |
| 3 | सहायक निबंधन महानिरीक्षक बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक सं0 2122 दिनांक 19.08.08 | 6,61,550.00 | मुद्रांक शुल्क(दिस0 97 से जून 03, दिस0 03 से मार्च–05, सित0 05, मार्च–06 से दिस0 07) |
| 4 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 08 दिनांक 09.12.09 | 10,16,700.00 | पथ निर्माण एवं जीर्णोद्धार |
| 5 | जिला पदा0 कटिहार के ज्ञापांक 123 दिनांक 13.03.09 | 1,35,000.00 | कबीर अंत्येष्टि अनुदान |
| 6 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 28 दिनांक 17.03.10 | 4,12,011.00 | 12वें वित्त आयोग अनुदान |
| 7 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 41 दिनांक 25.03.10 | 4,12,011.00 | 12वें वित्त आयोग अनुदान |
| 8 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के | 69,000.00 | नगर विकास के मुख्य/उपमुख्य |

80)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पत्रांक 90 दिनांक 19.03.10 | | पार्षदों को नियत भत्ता, निर्वाचित पार्षदों को मासिक बैठक भत्ता इत्यादि |
| 9 | जिला पदा0 कटिहार के पत्रांक 220 दिनांक 09.03.10 | 90,000.00 | कबीर अंत्योष्टि |
| 10 | जिला पदा0 कटिहार के पत्रांक – दिनांक 09. 12.09 | 45,000.00 | –do– |
| 11 | उप विकास आयुक्त कटिहार के ज्ञापांक 1175 दिनांक 25.11.10 | 8,91,000.00 | बी0 आर0 जी0 एफ0 |
| 12 | जिला पदा0 कटिहार के पत्रांक 1057 दिनांक 4.12.10 | 1,80,000.00 | कबीर अंत्योष्टि |
| 13 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 2031 दिनांक 20.04.10 | 69,000.00 | नगर विकास के मुख्य/उपमुख्य पार्षदों को नियत भत्ता, मासिक बैठक भत्ता इत्यादि |
| 14 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10 | 8,00,000.00 | 13वें वित्त आयोग अनुदान |
| 15 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार पटना के पत्रांक 166 दिनांक 26.03.11 | 6,38,266.00 | मैचिंग ग्राण्ट |
| 16 | जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार के पत्रांक 46 दिनांक 31.03.11 | 2,25,000.00 | कबीर अंत्योष्टि |
| 17 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 169 दिनांक 29.03.11 | 1,49,006.00 | वेतन मद |
| 18 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 1838 दिनांक 30.03.11 | 8,02,236.00 | 13वें वित्त आयोग अनुदान |
| 19 | उप विकास आयुक्त कटिहार के ज्ञापांक 240 दिनांक 24.03.11 | 7,43,000.00 | BRGF |
| 20 | उप विकास आयुक्त के ज्ञापांक 524 दिनांक 27.07.08 | 14,73,000.00 | तथैव |
| 21 | दिनांक 5.04.10 को कटिहार से प्राप्त आवंटन | 23,85,000.00 | तथैव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 1948 दिनांक 17.04.08 | 50,800.00 | मैचिंग ग्राण्ट |
| 23 | न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.10 | 1,40,000.00 | नगर प्रबंधकों का वेतन |

नगर पंचायत में अनुदान पंजी, वर्ष 2008–09 से 2010–11 में व्यय की गई राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र, अवशेष राशि का विवरणी नहीं बनाया गया था। इन सभी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**12. वेतन अनुदान**

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना से निम्नलिखित वेतन अनुदान प्राप्त हुआ था।

| क्र0 सं0 | पत्रांक | दिनांक | राशि(₹) | % राशि(₹) |
|---|---|---|---|---|
| (i) | 5908 | 1.10.08 | 372516.00 | 2,98,013.00(80%) |
| (ii) | 169 | 29.03.11 | 3,72,516.00 | 1,49,006.00(40%) |
| | | | | 4,47,019.00 |

**अंकेक्षण आपत्ति**

(i) वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक नगर पंचायत में केवल चार व्यक्ति कार्यरत थे तथा उनके लिए नगर पंचायत का वेतन अनुदान माँग निम्नवत् होनी चाहिए था:–

| वर्ष | कुल माँग(₹) | 80% वेतन अनुदान |
|---|---|---|
| 2008–09 | 2,28,252.00 | 1,82,602.00 |
| 2010–11 | 2,28,252.00 | 40% 91,301.00 |
| | | 2,73,903.00 |

अतः नगर पंचायत को ₹1,73,116.00(₹447019–₹273903) अधिक वेतन अनुदान प्राप्त हुआ था इस राशि को न0 वि0 एवं आ0 वि0, बिहार सरकार पटना को वापस किया जाये।

(ii) वर्ष 2009 –10 में वेतन अनुदान नहीं प्राप्त हुआ था। उसे प्राप्त करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध किया जाय।

(iii) उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजा गया या नहीं इसे अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये।

**13(i) गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों का अधिरोपण नहीं होने से ₹3,92,969.20 की राजस्व हानि**

बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पत्रों द्वारा निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत विभिन्न स्रातों से अपनी आय को बढाने का प्रयास करें। परन्तु नगर पंचायत द्वारा गृह कर के अतिरिक्त अन्य करों यथा जलकर, शौचकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, प्रकाश कर, व्यवसाय कर आदि का अधिरोपण नहीं किया गया था।

वार्षिक मूल्यांकन का 9% सम्पत्ति कर (होल्डिंग कर) लिए जाने का प्रावधान है जिसमें गृहकर–2.5%, जलकर–2.0%, शौचकर–2%, शिक्षा उपकर–1.25% एवं स्वास्थ्य उपकर–1.25% सम्मिलित है। लेकिन नगर पंचायत मनिहारी द्वारा जुलाई 2009 से 2010–11 तक में केवल गृह कर के रूप में ₹151142.00 की राशि वसुली गई थी। इस कारण नगर, पंचायत को ₹3,92,969.20 की हानि हुई थी। जिसकी विस्तृत विवरण निम्न थी।

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Latrine tax | 120913.60 |
| 02 | जलकर | 120913.60 |
| 03 | शिक्षा सेस कर | 75571.00 |
| 04 | स्वास्थ्य कर | 75571.00 |
| | कुल | 392969.20 |

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि इन सभी करों को लिए जाने की अनुमति बोर्ड द्वारा नहीं दी गयी थी लेकिन बोर्ड के निर्णय से संबंधित प्रमाण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया था। हालाँकि बोर्ड का निर्णय दिशा–निर्देश के अनुकूल नहीं था। अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध है कि इन सभी करों को लगाये जाने के उचित प्रयास किए जायें जिससे कि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो तथा नागरिको को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सके।

**13(ii) गृहकर की वसूली संबंधित पंजियों असंधारित एवं जूलाई 09 से पूर्व अधिरोपण नहीं किया जाना**

नगर पंचायत मनिहारी द्वारा जूलाई [वर्ष] 2009 से ही गृहकर की वसूली की जा रही थी। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

साथ ही नगर पंचायत द्वारा वार्षिक मूल्यांकन पंजी, माँग और वसूली पंजी इत्यादि संधारित नहीं की गई थी, जिससे वास्तविक वार्षिक कर, वसूली तथा बकाया कर की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। इसे संधारित कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

\77

## 14(i) नक्शा पारित नहीं जुर्माना की वसूली नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 325 के अनुसार इस अधिनियम में या इसके अधीन बनायें गये नियमों का तत्समथ प्रवृत किसी अन्य विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी और से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये प्रावधानों का उल्लंधन कर किसी नये भवन का या किसी भवन के अतिरिक्त तल या तलों का निर्माण, निर्माण प्रयत्न या ऐसे निर्माण का षडयंत्र करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो अथवा संकटापन्न होने की संभावना हो अथवा नगरपालिका की किसी सम्पत्ति, जल वितरण, जल निकासी या सीवरेज या सड़क यातायात विछिन्न होता है। अथवा विछिन्न होने की संभावना हो या आग का जोखिम सम्माविट हो, तो उसे पाँच वर्ष तक की अवधि के कारावास से और पचास हजार रूपये तक जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकेगा। नगर पंचायत मनिहारी द्वारा एक भी नक्शा पारित नहीं किया गया था तथा धारा 325 के अनुसार ₹50,000.00 जुर्माना भी नहीं। किया गया था। इस कारण नगर पंचायत मनिहारी को राजस्व की हानि हुई। जिसका विस्तृत विवरण निम्न है:–

| वार्ड सं0 | ग्रृह कि संख्या |
|---|---|
| 01 | 509 |
| 02 | 809 |
| 03 | 427 |
| 04 | 223 |
| 05 | 213 |
| 06 | 398 |
| 07 | 333 |
| 08 | 368 |
| 09 | 381 |
| 10 | 291 |
| 11 | 214 |
| 12 | 157 |
| 13 | 453 |
| 14 | 414 |
| कुल | 5190 |

राजस्व हानि की राशि = 5190 X50000 =259500000.00

**14(ii) वार्षिक किराया मूल्यांकन का पुनरीक्षण कम दरों पर किया जाना**

नगर पंचायत, मनिहारी के बोर्ड की बैठक दिनांक 14.12.2010 के प्रस्ताव सं0 03 द्वारा निम्नांकित दर से भवनों का कर पुनरीक्षण किया गया था:–

| | | **मुख्य सड़क** | | | **अन्य सड़क** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **भवन बनावट** | **पूर्णत वाणिज्यिक या औधोगिक** | **अन्य** | **पूर्णत या आवासीय** | **पूर्णत वाणिज्यिक या औधोगिक** | **अन्य** | **पूर्णत या आवासीय** |
| 1 | आर0 सी0 सी0 छत वाला पक्का भवन | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 0.50 |
| 2 | एस्बेस्टस/कोरोगेटेड चादर की छत वाला भवन | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 0.30 |
| 3 | खण्ड–I एवं II से भिन्न भवन | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.20 |

यह दर अत्यंत ही कम थी। जिसके आधार पर वार्षिक कर की राशि ₹20.00 से भी कम थी। उदाहरणस्वरूप वार्डवार कुछ नमूना नीचे दर्शाया जा रहा है:–

| | **वार्ड सं0–01** | |
|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **मकान मालिक का नाम** | **वार्षिक किराया शुल्क(₹)** |
| 1 | गोस्मात मेरखी | 9.60 |
| 2 | सुदामा देवी | 9.60 |
| 3 | मो0 सुकुरती | 10.00 |

| | वार्ड सं0—02 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | प्रकाश कुमार यादव | 19.20 |
| 2 | छोटन कुमार यादव | 19.20 |
| 3 | जगरनाथ महतो | 13.50 |
| 4 | उपेन्द्र महतो | 16.00 |
| 5 | रामदेव महतो | 18.00 |

| | वार्ड सं0—03 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | मो0 रोयाना पति स्व0 मो0 इमाम | 18.50 |
| 2 | शेख रसुल मि0 मो0 रसुल | 18.00 |
| 3 | दिलीप चौधरी पिता स्व0 फोजदारी चौधरी | 16.00 |
| 4 | दिनेश ततमा पिता स्व0 किशन लाल ततमा | 20.00 |
| 5 | शेख मुस्तक पिता स्व0 शे0 अकबर | 20.00 |

| | वार्ड सं0—05 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | शिवदास पिता स्व0 एतवारी दास | 20.00 |
| 2 | संजय पोद्दार पिता स्व0 विश्वनाथ पोद्दार | 20.00 |
| 3 | जानकी प0 स्व0 सुदामा यादव | 16.00 |
| 4 | वचन चौधरी प0 स्व0 सीताराम चौधरी | 20.00 |

| | वार्ड सं0–07 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | रामचन्द्रर यादव पिता सीताराम यादव | 18.00 |
| 2 | लखन यादव पिता सीताराम यादव | 18.00 |
| 3 | मनोज यादव पिता सीताराम यादव | 18.00 |
| 4 | सीताराम यादव पिता स्व बुद्धु यादव | 18.00 |
| 5 | सोहन यादव पिता स्व0 वीरू यादव | 14.40 |

| | वार्ड सं0–08 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | वंशीधर चौधरी पिता रधुवंश चौधरी | 20.00 |
| 2 | कारू चौधरी पिता रधुवंश चौधरी | 20.00 |
| 3 | दरोगी पासवान श्री शिवसुखम पासवान | 20.00 |
| 4 | मुन्ना कुमार चौधरी गणेश कुमार चौधरी | 20.00 |
| 5 | उपेन्द्र सिंह पिता दुखा सिंह | 16.00 |

| | वार्ड सं0–10 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | नवीन कुमार सिन्हा पिता शिवनन्दन प्रसाद सिन्हा | 19.20 |
| 2 | प्रवीण कुमार सिन्हा पिता शिवनन्दन प्रसाद सिन्हा | 19.20 |
| 3 | चन्द्रशेखर सिन्हा पिता पुरनचन्द्र सिन्हा | 20.00 |

| | वार्ड सं0–11 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | नागो मुईया पिता भागीरथी मुईया | 14.00 |
| 2 | अचल मुईया पिता स्व0 शिववचन मुईया | 19.20 |
| 3 | ललन पासवान पिता स्व0 रामध्यान पासवान | 13.80 |

| | वार्ड सं0–15 | |
|---|---|---|
| क्र0 सं0 | मकान मालिक का नाम | वार्षिक किराया शुल्क(₹) |
| 1 | मो0 परमीला पति स्व0 बृहस्पति पासवान | 18.00 |
| 2 | राजेन्द्र पासवान पिता स्व0 रधुनन्दन पासवान | 19.20 |
| 3 | शैलेन्द्र कुमार पासवान पिता स्व0 रधुनन्दन पासवान | 19.20 |
| 4 | बोहन यादव पिता स्व0 वशी यादव | 19.60 |
| 5 | कुन्दन चौधरी पिता स्व0 नन्दलाल चौधरी | 12.60 |

इतनी कम राशि से नगर पंचायत का वेतन तथा अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है तथा बिहार सरकार द्वारा भी वेतन मद में कोई मद में कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध है कि वार्षिक कर की दर को पुनरिक्षित करें जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके।

**15(i) कम जमा/जमा नहीं ₹0.04 लाख**

विविध रसीद के नमूना जाँच में पाया गया कि कर दारोगा, निरंजन कुमार राय द्वारा निम्नलिखित राशि नहीं/कम जमा की गई थी। विस्तृत विवरण निम्न है:–

| क्र0 सं0 | रसीद सं0 | दिनांक | सग्रहित की गई राशि | जमा की गई राशि | कम/नहीं जमा अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vol. No. 26 to 30 2501 to 3000 | 20.11.09 से 13.04.10 | 23,456.00 | 19,000.00 | 4456.00 |
| 2 | Vol. No. 31 to 33 3001 to 3300 | 29.07.10 से 9.10.10 | 28,536.00 | – | 28,536.00 |
| | | | | कुल | 32,992.00 |

लेखापरीक्षा आपत्ति के उपरांत राशि ₹28,536.00 दिनांक 28.03.12 को Central Bank के खाता सं0 2107135285 में कर दारोगा निरंजन कुमार राय द्वारा जमा कर दी गई थी, शेष राशि ₹4456.00 कर दारोगा, निरंजन कुमार राय से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जायें।

**15(ii) नहीं जमा राशि(₹1.33 लाख)**

विविध रसीदों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–10 की बंदोबस्ती से प्राप्त राशि ₹1,30,000.00(M.R. No. 87) दिनांक 15.04.09 तथा वर्ष 2003–04, 2004–05 की बंदोबस्ती से कुल ₹3,000.00 वसूली(पिछले वर्ष का बकाया राशि) की गई थी जो नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गई थी। जिसका विवरण निम्न है:–

| वर्ष | दिनांक | M.R. No. | राशि(₹) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | 15.04.09 | 81 | 1,000.00 | |
| 2004–05 | 15.04.09 | 80 | 2,000.00 | |
| 2009–10 | 15.04.09 | 87 | 1,30,000.00 | |
| | | | 1,33,000.00 | |

इस प्रकार उपर्युक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि कुल ₹1,33,000.00 डाककर्त्ता से वसूल किया गया था, लेकिन प्रधान सहायक–सह– लेखापाल द्वारा यह राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गई तथा ₹1,33,000.00 की राशि का प्रधान सहायक द्वारा दुर्विनियोजन किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को दिये गये जवाब में कहा गया कि यह राशि आदेशानुसार विनियोजित किया गया था लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः कुल

राशि ₹133000.00 की वसुली सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति से कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय। साथ ही इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति रोकने हेतु आवश्यक क़दम उठाने की आवश्यकता है।

**16(i) बंदोबस्ती की राशि वसूल नहीं–₹3.89 लाख**

मनिहारी बस स्टैंड की बंदोबस्ती की संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में बस पड़ाव की बंदोबस्ती विभिन्न डाककर्त्ताओं से की गई थी। जिससे कुल ₹3,89,100.00 की राशि वसूल नहीं की गयी थी। विस्तृत विवरण निम्न है:–

70

| Sl.No. | Name of the Settlement | Year | Name of the bidder | Bid Amount | Details of the realisation of bid amount | | | | Total Amount realised | Amount not Collected | Bid Amount to be deposited as per agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sl.No. | MR.No. | Date | Amount Collected | | | |
| 1 | Manihari Bus Stand | 2008-09 | Parsu Ram Singh | 2,60,000.00 | (i) | 82 | 03.04.08 | 1,30,000.00 | 1,91,000.00 | 69,000.00 | June 2008 |
| | | | | | (ii) | CBI A/c No. 2107135285 | 13.03.09 | 61,000.00 | | | |
| 2 | Manihari Bus Stand | 2009-10 | -do- | 2,60,100.00 | (i) | 87 | 15.04.09 | 1,30,000.00 | 1,30,000.00 | 1,30,000.00 | Sep 2010 |
| 3 | Manihari Bus Stand | 2010-11 | Ram Parwesh Yadav | 7,63,000.00 | (i) | 88 | 26.03.10 | 3,81,500.00 | 5,73,000.00 | 1,90,000.00 | July, Aug, Sep 2010(Three Instatment) |
| | | | | | (ii) | CBI A/c No. 2107135285 | 7.03.11 | 44,500.00 | | | |
| | | | | | | " | 7.03.11 | 49,000.00 | | | |
| | | | | | | " | 7.03.11 | 49,000.00 | | | |
| | | | | | | " | 7.03.11 | 49,000.00 | Total | ₹389100.00 | |
| | | | | | | | | | | | |

इस राशि के वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा किए गए प्रयास से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया। अतः बकाया बंदोबस्त राशि ₹3,89,100 की वसूली हेतु नियमसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि बकाया राशि की वसूली हो सके।

**16(ii) स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं करने के कारण राजस्व हानि–₹0.38 लाख**

निबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में बंदोबस्ती की सकल राशि का 3% की राशि के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा का निबंधन अनिवार्य है। परन्तु इस आदेश के विपरीत नगर पंचायत, मनिहारी द्वारा वर्ष 2008–09,2009–10 तथा 2010–11 में बंदोबस्ती साधारण कागज पर की गई थी। इस प्रकार राज्य सरकार को ₹38,493.00 की राजस्व की हानि हुई थी जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

| **क्र0सं0** | **वर्ष** | **बंदोबस्ती की कुल राशि** | **3% राजस्व** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008–09 | 2,60,000.00 | 7,800.00 |
| 2 | 2009–10 | 2,60,100.00 | 7,803.00 |
| 3 | 2010–11 | 7,63,000.00 | 22,890.00 |
| | | कुल | 38,493.00 |

अतः राजस्व हानि की राशि ₹38,493.00 संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलकर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जायें।

**17. सोलर लाईटों को क्रय में अनियमितताएँ–₹6.37 लाख**

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008 –09 से 2010–11 के दौरान सोलर लाइटो का क्रय निम्नवत किया गया था।

| **क्र0 सं0** | **योजना सं0** | **सोलर लाईट के मेंसर्स का नाम** | **सोलर लाईट की सं0** | **प्रति सोलर लाईट का दर** | **राशि(₹)** | **वैट की राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08–09 | माँ लक्ष्मी मोटर्स मनिहारी | 07 | 41,533.00 | 2,79,552.00 | 11,182.00 |
| 2 | 02/08–09 | तथैव | 05 | 41,600.00 | 2,00,000.00 | 8000.00 |
| 3 | 16/08–09 | माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन मनिहारी | 01 | 41,600.00 | 40,000.00 | 1,600.00 |

(18)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **13** | | **5,19,552.00** | **20,782.00** |
| 4 | 2/09–10 | तथैव | 01 | 40,100.00 | 38,558.00 | 1,542.00 |
| 5 | 3/09–10 | तथैव | 25 | 40,100.00 | 9,63,950.00 | 38,550.00 |
| 6 | 4/09–10 | तथैव | 03 | 40,100.00 | 1,15,674.00 | 4,626.00 |
| 7 | 5/09–10 | तथैव | 03 | 40,100.00 | 1,15,674.00 | 4,626.00 |
| | | | **32** | | **12,33,856.00** | **49,344.00** |
| 8 | 2/10–11 | पायल इन्टर प्राइजेज, कटिहार | 02 | 40,100.00 | 77,116.00 | 3,084.00 |
| 9 | 3/10–11 | तथैव | 04 | 26,600.00 | 1,02,308.00 | 4,092.00 |
| 10 | 4/10–11 | तथैव | 04 | 26,600.00 | 1,02,308.00 | 4,092.00 |
| 11 | 19/10–11 | रूपेश सोलर सिस्टम प्रामपुर,कटिहार | 04 | 26,600.00 | 1,02,308.00 | 4,092.00 |
| 12 | 21/10–11 | माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन, मनिहारी | 04 | 26,600.00 | 1,02,308.00 | 4,092.00 |
| 13 | 22/10–11 | रूपेश सोलर सिस्टम | 04 | 26,600.00 | 1,02,308.00 | 4,092.00 |
| | | | **22** | | **5,88,656.00** | **23,544.00** |

**अंकेक्षण आपत्ति**

(i) बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के पत्रांक 4852 दिनांक 14.08.08 द्वारा वर्ष 2008–09 सोलर लाईट का क्रय अधिकतम ₹31,492.00 सभी कर तथा अधिष्ठापन सहित तथा पत्रांक 1202 दिनांक 19.02.02 द्वारा वर्ष 2009–10 तथा नवम्बर 2010 तक अधिकतम ₹27,975.00 में करना था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा इसका अनुपालन नहीं कर अधिक दर से सोलर लाईटों का क्रय किया गया। इस कारण नगर पंचायत को ₹5,43,185.00 की हानि निम्नवत् हुई थीः–

| क्र0 सं0 | सोलर लाईट का क्रय दर(₹) | सरकार (ब्रेडा) द्वारा निर्धारित दर(₹) | अंतर राशि(₹) | सोलर लाईट की सं0 | हानि की राशि(₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41533.00 | 31,492.00 | 10,041.00 | 7 | 70,287.00 |
| 2 | 41600.00 | 31,492.00 | 10,108.00 | 6 | 60,648.00 |
| 3 | 40100.00 | 27,975.00 | 12,125.00 | 34 | 4,12,250.00 |
| | | | | | 5,43,185.00 |

अतः कुल हानि की राशि ₹5,43,185.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

(ii) बिहार वैट अधिनियम–2005 की धारा 40 एवं बिहार वैट नियमावली–2005 के नियम 28 के अनुसार वैट की राशि की कटौती आपूतिकर्त्ता द्वारा वाणिज्य–कर विभाग से निर्गत प्रपत्र C-III प्रस्तुत करने पर नहीं करना है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं कर वैट की कटौती नहीं की गयी थी। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0 सं0 | वर्ष | वैट राशि(₹) |
|---|---|---|
| 1 | 2008–09 | 20,782.00 |
| 2 | 2009–10 | 49,344.00 |
| 3 | 2010–11 | 23,544.00 |
| | योग | 93,670.00 |

अतः इस वैट की नहीं कटौती की गयी राशि ₹93670.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(iii) सोलर लाईट क्रय के लिए क्रय समिति का गठन नही किया गया था तथा इसकी जाँच तकनीकि अधिकारी से नहीं कराया गया था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

(iv) सोलर लाईट का गारंटी/वारंटी कार्ड तथा अभिश्रव संचिका में नहीं था।

(v) प्रतिवर्ष का भौतिक प्रतिवेदन अर्थात् सोलर लाईट कार्य कर रहा है या नहीं, यह भी नहीं कराया गया था।

(vi) क्रय किये गये सोलर लाईट का इन्द्रराज नगर पंचायत के भंडार पंजी में नहीं था।

उपरलिखित का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

**18(i) योजनाओं से वैट तथा रॉयल्टी की कटौती नहीं(₹0.50 लाख)**

योजनाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि स्वामित्व कर तथा वैट की कटौती नहीं की गई थी, जबकि कार्य विभागीय कराया गया था। इस प्रकार स्वामित्व कर की राशि ₹3291.00 तथा वैट की राशि ₹47011.00 की कटौती नहीं की गई थी। इस कारण अभिकर्त्ताओं को ₹50302.00(3291+47011) अधिक किया गया ,जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–III तथा IIIA पर)

**(ii) सामग्रियों के क्रय से वैट की कटौती नहीं किया जाना–0.20 लाख**

बिहार मूल्यवद्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 40 एवं बिहार मूल्यवद्धित कर नियमावली–2005 के नियम 28 के अनुसार आपूतिकर्त्ता द्वारा वाणिज्यकर विभाग से निर्गत Form C-III प्रस्तुत करने पर वैट राशि की कटौती नहीं करनी है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से Form C-III प्राप्त किए बिना वैट राशि का भुगतान कर जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

| क्र0 सं0 | अभिश्रव सं0 | क्रय की गई सामग्री | दिनांक | दुकानदार का नाम | मूल्य | वैट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44/08–09 | 12 Volt 88 AH Battery | 16.06.08 | Maa Laxmi Motors | 9126.00 | 1014.00 Vat(12.5%) |
| 2 | 21/10–11 | Computer Set | 14.01.11 | Tirupati Computer | 57040.00 | 2192.00 |
| 3 | 20/10–11 | Revolving Chair | 24.01.11 | United Furniture MG. Road Katihar | 76050.00 | 8450.00 |
| 4 | 18/09–10 | Honda Generator | 13.01.10 | Gupta Trading Company | 75800.00 | 8422.00 |
| | | | | | कुल | 20078.00 |

अतः वैट की राशि ₹20,078.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर सरकार के उचित शीर्ष में जमा किया जायें।

65

**19. कार्य विभागीय कराया जाना**

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 356 दिनांक 22.01.08 एवं पत्रांक 1954 दिनांक 17.04.2008 के दिशा–निर्देश के अनुसार नगर निकायों में योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराना था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा विभागीय कार्य कराया गया था। वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक योजनाओं पर ₹45,15,246.00 व्यय विभागीय तौर पर कराया गया था जो सरकार के दिशा–निर्देश का उल्लंधन था। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

इससे नगर पंचायत योजनाओं हेतु प्रतिर्स्पधात्मक दर प्राप्त नहीं कर पाया। सरकारी दिशा–निर्देशों का उल्लंधन कर येाजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से नहीं कराकर विभागीय कार्य कराने हेतु दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

**20. संवेदक लब्धांश नहीं घटाया जाना–₹4.11 लाख**

वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक नगर पंचायत द्वारा कुल 44 योजना ली गई थी जिसके प्राक्कलन से संवेदक लाभांश को नहीं घटाया गया था तथा न ही तकनीकि अधिकारी द्वारा प्राक्कलन में संवेदक लाभांश घटाकर प्राक्कलन बनाने का उल्लेख किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्न है:–

| वर्ष | योजना की सं0 | प्राक0 राशि(₹) | वास्तविक व्यय(₹) |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | 16 | 10,01,233.00 | 9,69,893.00 |
| 2009–10 | 06 | 18,41,000.00 | 18,39,893.00 |
| 2010–11 | 22 | 17,21,850.00 | 17,05,460.00 |
| | 44 | 4564083.00 | 4515246.00 |

यह कार्य विभागीय हुयी थी तथा संवेदक लाभांश नहीं काटा गया था। इससे स्पष्ट है कि ₹4,10,887.00 का भुगतान अधिक अभिकर्त्ता को हो गया था।

वास्तविक व्यय = 45,15,246.00 x 9.1%

= 4,10,887.00

अत: ₹4,10,887.00 संबंधित अभिकर्त्ता से वसूली योग्य है।